



**कार्यालय प्राचार्य, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, भरतपुर (राजस्थान)**

Ph. No. 05644-223641 E-mail : msjc47@gmail.com
<https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcbharatpur>



क्रमांक : एमएसजे / बी.एस.वाई. / स्था / 2022 / 1125 - 30

दिनांक : - ३०/३/२२

विज्ञाप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1()विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फ./दिशा निर्देश/21/81 दिनांक 14 जुलाई 2022 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्या सम्बल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में यू०जी०सी० योग्यताधारी अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विषयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में परिपत्र विन्दु संख्या 4(क) में वित्त विभाग द्वारा वर्णित स्तर से परिपत्र विन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 10.08.2022 को साय 5:00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर के कार्यालय में साय 5:00 बजे तक जमा करवा सकते हैं।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय
1.	महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर	अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, लोकप्रशासन, ए.बी.एस.टी., व्यावसायिक प्रशासन, ई.ए.एफ.एम., वनस्पतिशास्त्र
2.	राजकीय महाविद्यालय, वैर (भरतपुर)	भूगोल, अर्थशास्त्र
3.	राजकीय महाविद्यालय, रुपवास (भरतपुर)	अर्थशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी
4.	राजकीय महाविद्यालय, पहाड़ी (भरतपुर)	अंग्रेजी, गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम., व्यावसायिक प्रशासन
5.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपला (भरतपुर)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास

आवेदन हेतु प्रारूप/आवेदन फॉर्म, न्यूनतम योग्यता, दिशा-निर्देश, शर्तें एवं शपथ-पत्र आदि महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर की वेबसाइट (<https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcbharatpur>) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

प्राचार्य ३०/३/२२
एम.एस.जे.कॉलेज,
भरतपुर

क्रमांक : एमएसजे / बी.एस.वाई. / स्था / 2022 / 1125 - 30

दिनांक : - ३०/३/२२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संपादक महोदय, राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञाप्ति को डी.पी.आर. की न्यूनतम दर पर न्यूनतम स्पेस में स्थानीय संस्करण में प्रकाशित कराने का श्रम करें तथा बिल दो प्रतियों में समाचार पत्र की प्रति के साथ भुगतान हेतु प्रेषित करावें।
- श्रीमान् संयुक्त निदेशक (अकादमिक), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- अकादमिक प्रभारी एवं विद्या सम्बल समिति प्रभारी, एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर।
- वेब प्रभारी एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर।
- लेखाशाखा एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर।
- रक्षित पत्रावली।

प्राचार्य
एम.एस.जे.कॉलेज, ३०/३/२२
भरतपुर



**कार्यालय प्राचार्य, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, भरतपुर (राजस्थान)**

Ph. No. 05644-223641 E-mail : msjc47@gmail.com
<https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcbharatpur>



विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्रक

1. आवेदित महाविद्यालय का नाम :-
2. आवेदित विषय :-
3. आवेदक का नाम :-
4. पिता का नाम :-
5. माता का नाम :-
6. जन्म तिथि :- (संलग्नक
7. आयु (01.08.2022 को) :- वर्ष माह दिन
8. वर्ग :-UR/OBC/MBC/EWS/SC/ST/PWD (संलग्नक
9. लिंग (पुरुष / महिला / अन्य) :-
10. शैक्षणिक योग्यता :-

अभ्यर्थी का
अद्यतन
पासपोर्ट साइज
फोटो

स्तर	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिशत में अंक/ग्रेड	संलग्नक पृष्ठ संख्या से तक
दसवीं (10 th)					
बारहवीं (12 th)					
स्नातक (UG)					
अधिस्नातक (PG)					
एम.फिल M.Phil					
पीएच.डी. (Ph.D)					
JRF सहित NET					
NET					
SLET/SAT					
अन्य					

(*) जिन अभ्यर्थियों ने 10+1+3 प्रणाली से परीक्षा उत्तीर्ण की है वे 12वीं के स्थान पर 11वीं की सूचना दें।

नोट :- अलग-अलग महाविद्यालयों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करें।

11. पीएच.डी. सम्बन्धी विवरण :-

- पीएच.डी. पंजीकरण दिनांक :— (संलग्नक)
- पीएच.डी. उपाधि प्राप्ति दिनांक :— (संलग्नक)
- पीएच.डी. प्रमाण पत्र में "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 के अन्तर्गत प्रदत्त" अंकित है या नहीं (हाँ/नहीं)
- यदि नहीं, तो "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009" के अनुसार कुलपति/संकाय अध्यक्ष द्वारा जारी उक्त शर्तें पूरी करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं या नहीं (संलग्नक)

12. शोध प्रकाशन :-

क्र.सं.	शोध का शीर्षक	जर्नल/शोध पत्रिका का नाम	पीयर रिव्यूड/यूजी.सी की सूची में शामिल (हाँ/नहीं)	संलग्नक पृष्ठ संख्या से तक

13. शिक्षण के अनुभव का विवरण :-

क्र.सं.	शिक्षण अनुभव का स्तर स्नातक/स्नातकोत्तर	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तथा ज़िला व राज्य	तिथि (कब से कब तक)	अनुभव की कुल अवधि (पूर्ण माह व वर्षों में)	प्रमाण-पत्र की पृष्ठ संख्या से तक
			 माह वर्ष	
			 माह वर्ष	
			 माह वर्ष	
			 माह वर्ष	
			 माह वर्ष	
योग					

14. पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव :-

क्र.सं.	संस्थान का नाम जहाँ पोस्ट डॉक्टोरल कार्य किया	तिथि (कब से कब तक)	संलग्नक पृष्ठ संख्या से तक

15. पुरस्कार सम्बन्धी विवरण :-

क्र.सं.	पुरस्कार का शीर्षक	प्रदान करने वाला संस्था का नाम व पता	वर्ष	स्तर (राज्य/राष्ट्रीय या उच्चतर)	प्रमाण-पत्र की पृष्ठ संख्या से तक

16. अन्य कोई विवरण :-

17. आवेदक का पत्राचार का पता :-

जिला पिनकोड

मोबाइल नं वैकल्पिक मोबाइल नं

ईमेल आई.डी.

18. आधार नम्बर (संलग्नक पृष्ठ संख्या)

शपथ/घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं। यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा मिथ्या कथन पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। विज्ञप्ति में वर्णित समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है तथा मैं सभी वर्णित शर्तों की पालना करने का वचन देता/देती हूँ।

दिनांक :-

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर

स्थान :-

पूर्ण नाम



**कार्यालय प्राचार्य, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, भरतपुर (राजस्थान)**

Ph. No. 05644-223641 E-mail : msjc47@gmail.com
<https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcbharatpur>



विद्या सम्बल योजना

आवेदन—पत्र भरने के सम्बन्ध में विन्दुवार निर्देश :-

1. आवेदित महाविद्यालय का नाम अंकित करें।
2. जिस विषय में आवेदन किया जा रहा है उसका नाम अंकित करें।
3. आवेदक अपना नाम हिन्दी और अंग्रेजी लिपि में स्पष्ट रूप से लिखें जैसाकि आपके शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है।
4. पिता का नाम लिखें।
5. माता का नाम लिखें।
6. अपनी जन्म तिथि लिखें तथा इसके लिए प्रमाण—पत्र का दस्तावेज संलग्न करें।
7. दिनांक 01.08.2022 को आवेदक स्वयं की आयु की गणना वर्ष, माह एवं दिवस में अंकित करें।
8. आवेदक अपना वर्ग लिखें तथा आरक्षित वर्ग में होने की स्थिति में जाति, Non-Creamy Layer आदि के अद्यतन प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न करें। यदि आप विशिष्ट योग्यजन (PWD) हैं तो इसका उल्लेख करें तथा वैध प्रमाण की प्रति संलग्न करें।
9. लिंग सम्बन्धी सूचना दें।
- 10.अपनी शैक्षणिक योग्यता का पूर्ण विवरण दें। निर्धारित कॉलम में प्रतिशत का उल्लेख दशमलव के बाद दो अंकों तक करें (जैसे 68.33)। प्रत्येक शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र व अंकतालिका अवश्य संलग्न करें।
- 11.पीएच०डी० सम्बन्धी सूचनाएँ अंकित करें।
- 12.शोध प्रकाशन, यदि कोई हैं तो उनका उल्लेख करें तथा उनकी एक पूर्ण प्रति जिसमें शोध जर्नल का नाम, वॉल्यूम संख्या स्पष्ट दिख रही हो, संलग्न करें। ये जर्नल राज्य सरकार के निर्देशनानुसार UGC सूची के peer reviewed होने चाहिए। जिन शोध प्रकाशनों की वैधता या प्रकाशित होने के सम्बन्ध में समिति को संशय होगा उनमें अंकों का लाभ नहीं दिया जायेगा। अतः सावधानी पूर्वक समस्त जानकारी दें तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। जिन प्रकाशनों पर अंकों का लाभ देय नहीं है उनका निर्धारित उल्लेख तालिका में न करें।
13. शिक्षण सम्बन्धी विवरण दें तथा शिक्षण अनुभव को स्थापित या सिद्ध करने सम्बन्धित स्वीकार्य व ठोस प्रमाणपत्रों की प्रति उपलब्ध करवाएं। तालिका में अनुभव के पूर्ण किये गए महीनों व वर्षों का उल्लेख करें।
14. पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव सम्बन्धी विवरण दें, पोस्ट डॉक्टोरल कार्य करने का संस्थान एवं उसकी अवधि सम्बन्धित तालिका में अंकित करें।
15. यदि अभ्यर्थी को राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय या उच्चतर पुरस्कार प्राप्त हो तो इसका उल्लेख करें व प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए निर्धारित कॉलम में 'राज्य स्तरीय' अंकित करें।
16. शैक्षणिक योग्यता/शिक्षण अनुभव/शोध इत्यादि से सम्बन्धित विवरण की जानकारी दें तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें।
17. आवेदक अपना पूर्ण पत्राचार का पता अंकित करें तथा अपना मोबाइल नम्बर, वैकल्पिक मोबाइल नम्बर व ईमेल का भी उल्लेख करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सूचित किया जा सके। सम्पर्क सूत्रों की

अपूर्ण जानकारी दिए जाने पर यदि महाविद्यालय अभ्यर्थी को कोई सूचना देने में असमर्थ रहता है तो इसका उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।

18. आपने आधार कार्ड की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न करें।
19. आवेदन पत्रक में हस्ताक्षर कर पूर्ण नाम, तिथि व स्थान अंकित करें।
20. शपथ पत्र (जिसे 50/- रुपये के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर गैस्ट फेकल्टी में आमन्त्रण के समय प्रस्तुत करना है) पर हस्ताक्षर कर पूर्ण नाम व तिथि अंकित करें।

अन्य निर्देश :—

1. आवेदन पत्र निशुल्क है तथा इसे जमा करवाने का कोई शुल्क नहीं है।
2. आवेदन करने से पूर्व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर तथा वित्त विभाग के योजना सम्बन्धित विभिन्न आदेशों/पत्रों/परिपत्रों का अध्ययन कर शर्तों को भलीभांति समझ लें क्योंकि इनमें दी गई सभी शर्तें लागू होंगी।
3. आवेदन, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ही करें। अभ्यर्थी के स्वयं के बनाये अथवा अन्य महाविद्यालय के प्रारूप पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. इस महाविद्यालय को यदि किसी अन्य महाविद्यालय के आवेदन प्रेषित कर दिए जाते हैं अथवा ऐसे विषय के आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जो विषय महाविद्यालय में विद्या सम्बल योजनान्तर्गत उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे आवेदनों पर विचार करना तथा उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय में भेजने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
5. आवेदन पत्रक स्पष्ट व सुपादय अक्षरों/शब्दों में भरें।
6. जहाँ आवश्यक हो अतिरिक्त पृष्ठ लगा सकते हैं।
7. आवेदन पत्रक के बिन्दुओं के क्रम में ही समस्त प्रमाण पत्रों की प्रतियों को व्यवस्थित करें तथा इनके पृष्ठों को क्रमिक रूप से 1,2,3..... अंकित करते हुए आवेदन के सम्बन्धित बिन्दु में प्रासादिक प्रमाण पत्र/अंक तालिका की पृष्ठ संख्या का उल्लेख करें।
8. समस्त प्रमाणपत्रों/अंक तालिकाओं तथा दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित/प्रमाणित करने के सम्बन्ध में हस्ताक्षर करें।
9. जिन दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक दिए जायेंगे, ऐसे दस्तावेजों का महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मूल दस्तावेजों से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन न होने की स्थिति में अभ्यर्थी की मेरिट में बदलाव किया जाना, आवेदन निरस्त किये जाने अथवा अन्य यथेष्ट कार्यवाही किया जाना सम्भव है, अतः उन्हीं प्रमाण पत्रों को संलग्न करें जिनके मूल दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हों।
10. अपूर्ण भरे गए अथवा संलग्नकों के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. आरक्षित श्रेणी, नॉन क्रीमी लेयर अथवा विशिष्ट योग्यजन (PWD) के विषय में वैध प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में आवेदन का निस्तारण सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।
12. जिन्होंने पिछले वर्ष विद्या सम्बल योजना हेतु आवेदन किया है वे भी नए सिरे से आवेदन करें।
13. आवेदन प्राचार्य, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, पिनकोड़-321001 के पते पर ही प्रेषित करें। किसी अन्य नाम जैसे व्यवित, संकाय सदस्य, आदि के नाम से प्रेषित आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन प्रेषित करते समय लिफाफे पर 'विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत विषय हेतु आवेदन' भी लिखें।
14. पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र मय समस्त संलग्नकों के निर्धारित तिथि व समय (दिनांक 10.08.2022 साथ 5:00 बजे तक) से पूर्व महाविद्यालय में व्यवितशः जमा करवाएं अथवा रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट डाक से प्रेषित करें। ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(50/-रूपये के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर गैस्ट फेकल्टी में आमन्त्रण के समय प्रस्तुत करना है)

प्रारूप

शपथ—पत्र

मैं, श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री
 विभाग (संस्थान का नाम) में दिनांक
 को गैस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021 / दिनांक 30.03.2021 को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएँ पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण सम्बन्धी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूपूर्से, स्वयं से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएँ यदि जाँच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे गैस्ट फेकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empanelment से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूँगा / करूँगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदण्डों के अनुसार अपनी सेवाएँ प्रदान करूँगा / करूँगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ / करती हूँ तो संस्था एक तरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूँगा / करूँगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद के स्थानान्तरण / नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गैस्ट फेकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गई वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूँगा / करूँगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फेकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

11. मैं, राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूँगा / करूँगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी नियम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैरस्ट फैकल्टी के रूप में निर्युक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।
15. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालांश मानदेय भुगतान पर आधारित है अतः शपथग्रहिता को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विन्दु संख्या 01 से 15 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथा असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक :—

स्थान :—

शपथग्रहिता